



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख, 1942 (श०)

संख्या- 185 राँची,

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

24 अप्रैल, 2020

संख्या-07डी/अधिवक्ता लिपिक-17/2020- 457 जे0/-- झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 की धारा-(4) की उप-धारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के गठन की घोषणा करती है ।

2. समिति एक निगमित निकाय होगी, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति के अर्जन, रखने एवं निपटर्ने की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर (सील) होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकती है या उस पर वाद चलाया जा सकता है ।

3. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष ;
- (ख) प्रधान सचिव, विधि विभाग ;
- (ग) प्रधान सचिव, गृह विभाग ;

- (घ) प्रधान सचिव, वित्त विभाग ;
- (ङ) महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय ;
- (च) यथाविहित प्राधिकार एवं रीति से अधिवक्ता लिपिकों में से नाम निर्देशित तीन सदस्य, जिन में से एक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, और
- (छ) सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा उस विनियम के अनुसार की जाएगी, जो ऐसे सचिव की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों के संबंध में समिति द्वारा बनाई जाय।

परंतु इस प्रकार नियुक्त सचिव के पास समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

4. विधिज्ञ परिषद् अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
5. सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, प्रधान सचिव, गृह विभाग, प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय, के महानिबंधक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
6. सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, प्रधान सचिव, गृह विभाग, प्रधान सचिव, वित्त विभाग यदि किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे अपने विभाग से उप सचिव स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
7. झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक यदि किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे उप निबंधक स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
8. उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य अपने नाम निर्देशित की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेगा।
9. सचिव को निधि से यथा विहित रीति से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
 विधि विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।

Law Department**Notification**24th April, 2020

Notification No.-07 D/Advocate clerk's-17/2020 - 457 /J.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (4) of the Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Act, 2018 the State Government, w.e.f. the date of this notification, do hereby establish Jharkhand Advocates' Clerks Welfare Fund Committee.

2. The Committee shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and shall, by the said name, sue and be sued.

3. The Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) The Chairman of the Bar Council;
- (b) The Principal Secretary to Government, Law Department;
- (c) The Principal Secretary to Government, Home Department;
- (d) The Principal Secretary to Government, Finance Department;
- (e) The Registrar General of Jharkhand, High Court;
- (f) Three members to be nominated from amongst the Advocates' Clerks by such authority and in such manner as may be prescribed, of whom one shall be nominated by the Committee as the treasurer of the Fund; and;
- (g) A Secretary to be appointed by the Chairman in accordance with such regulation as may be made by the Committee in respect of the recruitment and conditions of service of such secretary.

Provided that the secretary so appointed shall not have the right to vote at the meetings of the committee.

- 4. The Chairman of the Bar Council shall be ex-officio Chairperson of the Committee.
- 5. The Principal Secretary to Government, Law Department, the Principal Secretary to Government, Home Department, the Principal Secretary to Government, Finance Department and the Registrar General of Jharkhand High Court shall be ex-officio members of the Committee.
- 6. In case the Principal Secretary to Government, Law Department, the Principal Secretary to Government, Home Department, the Principal Secretary to Government, Finance Department, is unable to attend the meetings of the Committee for any reason, he may depute any officer not below the rank of Deputy Secretary to Government to attend the meetings.

7. In case the Registrar General of Jharkhand High Court is unable to attend the meetings of the Committee for any reason, he may depute any officer of his Department, not below the rank of Deputy Registrar to attend the meetings.
8. A member nominated under clause (f) of sub-section (3) shall held office for a term of three years from the date of such nomination or until he cease to be a member of Advocates' Clerks Association whichever is earlier.
9. The Secretary shall be paid such remuneration out of the Fund, as may be prescribed.

By order of the Governor of Jharkhand,

Pradeep Kumar Srivastava,

Principal Secretary-Cum-L.R.

Law Department, Ranchi.
